



हमारे वरिष्ठ नागरिकों (सीन्यर सिटिज़ेन) के लिए अपराध रोकने के २० महत्वपूर्ण तरीके -



- १) गुप्त रूप से झाकने वाली छेद लगायें।
- २) सुरक्षा देने वाली दरवाज़े की कड़ी या डंडा स्थापित करें या सुरक्षा दरवाज़ा लगायें एवम् उसका इस्तेमाल करें (बुजुर्ग हाथों के लिए दरवाज़े की कड़ी आसान होगी) ।
- ३) सुरक्षा वाली सेन्सर प्रकाश स्थापित करें। इस सेन्सर प्रकाश को ऐसे सौकेट से जोड़े जो खतरा से सावधान करने के लिए करकरतर या भौकने की आवाज़ निकले।
- ४) अजनबी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलें। कभी भी अनजान लोगों को अपने घर में नहीं बुलायें। यदि किसी को आपकी आपातकालीन मदद चाहिए, आप मदद के लिए खुद फ़ोन करें। अजनबी से सावधान रहें।
- ५) कभी भी दस्तकारों द्वारा दरवाज़े पर दिए गए काम के प्रस्तावों को (जैसे पेड़ काटना, गटर रखरखाओ) नहीं अपनायें, जब तक कि आपने किसी भरोसे वाले रिश्तेदार या दोस्त से सलाह नहीं ली है।
- ६) अपने पड़ोसी और समाज के बारे में जानकारी रखें।
- ७) अपने पड़ोसी एवं विश्वसनीये संस्था द्वारा दिए गए सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार करे, जैसे बागवानी के लिए “ईज़ी केअर” बागवानी मदद देती है।
- ८) कैफ़े या रेस्ट्रॉंट में कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड अपने नज़र से दूर नहीं जाने दे, बल्कि उसको साथ रखें।
- ९) पड़ोसी के साथ दोस्ती बनायें और संकेत इस्तेमाल करें उसे बताने के लिए कि आप सुरक्षित हैं (जैसे ब्लाइंड ऊपर करना) ।
- १०) मुफ़्त में मिलने वाली (लिटल ब्लाक बुक औफ़ स्कैम) पब्लिकेशन प्राप्त करें। यह सरकारी ऐसीसीसी द्वारा प्रकाशित की गई है।

आपातकालीन नम्बर (आपके प्रॉपर्टी पर किसी के भी शामिल होने पर)	000
किसी प्रकार की संदेहजनक घटना की सूचना देने के लिए (क्राइम स्टोपर)	1 800 333 000
किसी आम अपराध की सूचना देने के लिए (पुलिस असिसटेंस लाइन)	131 444
अगर आप को मालूम नहीं की क्या करें (हॉर्नसबी पुलिस स्टेशन)	9476 9799
TTY—To ask for Police, type PPP	106
SPEAK AND LISTEN	1 800 555 727

- ११) कभी भी फ़ोन पर अपना व्यक्तिगत विवरण नहीं दें।
- १२) जब आप घर पर हैं, तब अपना दरवाज़ा बंद करके रखें। ताले से चाभी निकाल कर रखना याद रखिए, क्योंकि आपातकालीन अगर किसी को बाहर से आना पड़े।
- १३) अपने बिस्तर के नज़दीक टॉर्च ऐवम फ़ोन रखें।
- १४) अपने कार का रिमोट कंट्रोल अपने पास या अपने बिस्तर के नज़दीक रखें। आपातकालीन स्थिति में इसका इस्तमाल पैनिक अलार्म की तरह किया जा सकता है।
- १५) सनसनीखेज़ ईमेल को आगे भेजने से पहले उसकी विश्वसनीयता को इन वेबसाइट पर जाँच लें - www.snopes.com , urbanmyths.com , www.hoax-slayer.com
- १६) कम्प्यूटर घोटाले से सावधान रहिए। कभी भी अनचाही अटैच्मेंट (जुड़े हुए कागज़) को नहीं खोलें। कभी भी ईमेल के अंदर से लिंक नहीं खोलें। सरकार द्वारा देने वाली “स्टे स्मार्ट ऑनलाइन “ सेवा के लिए साइन अप करें।
- १७) मॉनिटर्ड इंट्रूडर अलार्म सिस्टम स्थापित करें। इसमें घर और दूर रहने का सेटिंग होता है जिसे आप आसानी से सेट कर सकते हैं, यदि आप घर पर हैं (खास तौर से सोते समय) , या जब आप बाहर हों।
- १८) खुले हुए खिड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा १० सेंटीमीटर पर लॉक कर लें। नये सुरक्षा के समान में खुले खिड़कियों और बाल्कनी के लिए सेन्सर आते हैं।
- १९) कभी भी अपना पर्स या बैग किसी शॉपिंग ट्रॉली में नहीं रखें, बल्कि अपने पास रखें। सिनमा में या खाने की जगह पर, अपना बैग अपने गोदी में रखें। पुरुष अपना वॉलेट अपने आगे के पॉकेट में रखें।
- २०) टॉर्च कीरिंग का इस्तेमाल करें ताकि आपको चाभी को ढूँढनी ना पड़े। चाभी को खींचने वाली कीरिंग से जोड़ने का सोचे, जो आपके पॉकेट या पर्स से जुड़ सके।

यह सूची उन लोगों के द्वारा संकलित की गई है जो नेबर्हुड वॉच कु-रिंग-गाये एवं हॉर्नसबी काउन्सिल से जुड़े हैं। कृपया ज़्यादा जानकारी के लिए अपने अपराध रोकने वाले अधिकारी (सी पी ओ) हॉर्नसबी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। फ़ोन: 9476 9799.

Tips and other resources are available to download free from the Neighbourhood Watch in Ku-ring-gai & Hornsby website: au-NHWKuringgaiHornsby.org/Tips/.

See also the community's one-stop-shop of crime prevention information: WatchOut.org.au.

Follow us on [Facebook](#), [Twitter](#) or at our [website](#). Contact us at: NHWKuringgaiHornsby@gmail.com.